Regarding displacement of people in Jayant in Singrauli district, Madhya Pradesh-Laid

डॉ. राजेश मिश्रा (सीधी) : सिंगरौली जिले के जयंत क्षेत्र में विस्थापन का सबसे बड़ा मुद्दा है । यह मेरे संसदीय क्षेत्र का सबसे बड़ा विस्थापन होगा इससे पहले इस क्षेत्र में जो भी विस्थापन हुये थे लगभग ग्रामीण थे । किन्तु इस विस्थापन में बाजार, शो-रूम, प्रतिष्ठान, बस स्टैण्ड, हास्पिटल, पूजा घर, स्कूल, स्पोर्ट्स के मैदान के साथ-साथ इन प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिक सभी प्रभावित हो रहें है । 75 हजार से अधिक आबादी, 30 हजार से अधिक परिवार, 927 हेक्टेयर जमीन व 22 हजार से अधिक घर प्रभावित हो रहें है, जिसमें फारेस्ट लैण्ड भी है । कोल वियरिंग एक्ट के तहत धारा 4, 7, 8 व 9 का प्रकाशन हो चुका है । विस्थापन होना तय है । वहां की जनता भी राष्ट्रहित में, राष्ट्र की प्रगति, समद्धि हेतु अपना घर-बार छोड़ने को तैयार है किन्तु कुछ शंकाएं वहां के विस्थापितों को है । मैं उन्हें उल्लिखित करना चाहता हूँ - पूर्व में उस क्षेत्र में हुये सभी विस्थापन नियम सापेक्ष नही हुये है । अतः इस बार सब ठीक-ठाक होगा यह संशय है । जमीन किस दर से ली जायेगी, यह स्पष्ट हो वर्ग मीटर या वर्ग फिट में । LARR प्रावधानों के अनुरूप हों ।